e-mitra

1 STOP AKSH
We smarten up your life..™

प्रसुति सहायता योजना

यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण महिला कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जिनहोने श्रम कार्ड बनवाया हो और अधिकतम दो प्रसव पर लाभ प्राप्त कर सकती है।

पात्रता एवं शर्ते

1. प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
2. प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा।
3. संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ देय।
4. प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं हो।
5. प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। पंजीयन से पूर्व 2 या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता देय नहीं होगी तथा पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसव पर सहायता देय होगी

आवेदन की समय सीमा

प्रसव तिथि के 90 दिन में

आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

1. भरा हुआ योजना का फॉर्म
2. डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
3. बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
4. हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
5. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
6. भामशाह परिवार कार्ड या भामशाह नामांकन की प्रति
7. आधार कार्ड की प्रति
8. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति

आवेदन शुल्क - 32/- रूपये

सहायता राशि:
पुत्री-21 हजार
पुत्र-20 हजार